

प्रेमक,

आजीक मांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

मेरा में,

सेक्रेटरी,
सेन्सुस बोर्ड आफ सेक्रेण्डरी एजुकेशन,
2/19 सना बिहार, अंतारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली ।

विज्ञापन 1131 अनुभाग

संख्यांक: दिनांक: 15 मई, 1992-

विषय :- उडवाइन गार्डेनिया स्कूल, जी.टी. रोड, कानपुर को
अनायत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उडवाइन
गार्डेनिया स्कूल, जी.टी. रोड, कानपुर को सेन्सुस बोर्ड आफ सेक्रेण्डरी
एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार
को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आयत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोताकड़ी का समय समय पर खींच नवीनीकरण
कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्धन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित
एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के भेद्योवी वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर
प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संघालित विद्यालयों से
विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित ग्रांत्क से अधिक ग्रांत्क नहीं लिया
जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की
जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से
मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्सुस बोर्ड आफ
सेक्रेण्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली/ काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल
सर्टीफिकेट एक्वायिमेन्स, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त
परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से
मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था के शिक्षक तथा शिक्षिततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता
प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा
अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

- 161 कर्मचारियों की सेवा इति बनावी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त आगतकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 171 राज्य सरकार ^{द्वारा} समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उसका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिष्कार/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की कोई चुक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भावदीय,

अशोक गाम्भीरी
उप सचिव ।

संख्या-1043111/151131/92 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 111 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ ।
- 121 मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, कानपुर ।
- 131 निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 141 जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ।
- ✓ 151 प्रबन्धक, उडवाइन गार्डनियाँ स्कूल, जी.टी.रोड, कानपुर ।

आज्ञा से,

[Signature]
14.5.92
अशोक गाम्भीरी
उप सचिव ।